नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय

मेदिनीनगर, पलामू - 822101

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक – DHESec2/संबंधन–27/2020/HTESD–988, दिनांक 04.05.2023 के आलोक में झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 4(19) के तहत एवं अधिषद (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय अंतर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को द्विवर्षीय बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम में अद्यतन Statute के प्रावधान के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2023–2025, 2024–2026 एवं 2025–2027 के लिए वित्तीय भार रहित सशर्त अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है –

क्र0सं0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय
1.	कुमारेश इन्टरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	एम0एड0
2.	दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गढ़वा	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
3.	कुंवर पिरथी नाथ सिंह बी0एड0 कॉलेज, चैनपुर, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
4.	इंदिरा सिंह बी0एड0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कल्याणपुर, गढ़वा	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
5.	जी0एल0ए0 बी0एड0 कोर्स, मेदिनीनगर, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
6.	ईलिट पब्लिक बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
7.	ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
8.	सिद्धनाथ बी0एड0 कॉलेज, जपला	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
9.	आर0के0बी0एस0 संस्थान, सोनपुरवा, गढ़वा	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
10.	पं0 जगनारायन त्रिपाठी बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
11.	गोपीनाथ सिंह बी0एड0 कॉलेज, लातदाग, गढ़वा	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0
12.	कुमारेश इन्टरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	2023–2025, 2024–2026, 2025–2027	बी0एड0

शर्तें –

(i) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द

Scanned with OKEN Scanner

(ii) महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर द्वारा लगाये गए श
का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

(iii) महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चि
करेगा ।

(iv) जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबं
दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पद IIQA Subn
करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा
उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन
करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी ।

(v) विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा
किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0 / राज्य सरकार / विश्वविद्याल
द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संवद्धता समाप्त करने की नियमानुस
कार्रवाई की जाएगी ।

कुलपति के आदेशानुसार,
ह / –
कुलसचिव
नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्याल
मेदिनीनगर, पलामू

Memo No. – NPU/R/...363.../23 Date – 13-6-23

प्रतिलिपि –

1. प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, सभी संबंधित महाविद्यालय ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची ।
3. परीक्षा नियंत्रक, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
4. जन सूचना पदाधिकारी, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
5. कुलपति / प्रतिकुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित।

RKumar
13.6.23
कुलसचिव
नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्याल
मेदिनीनगर, पलामू
13/6/23

Anuprash

Scanned with OKEN Scanner